क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Untied Fund for Additional Primary Health Centre.

बजट/एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Untied Fund for Additional Primary Health Centre.

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)–B2.5

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रख–रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित ईकाई राषि वर्ष 2012–13 में उपयोग की गई राषि के आधार पर प्रदान की जा रही है।

ईकाई राशि:

- @ Rs. 10,250 प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 80 प्रतिषत से ज्यादा था। (**औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, बक्सर, पूर्वी–चम्पारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नावादा, रोहतास, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पं० चम्पारण**)
- @ Rs. 8850 प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 60 से 80 प्रतिषत तक था। (**अरवल, बांका, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, शेखपुरा एवं शिवहर**)
- @ Rs. 7750 प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 40 से 60 प्रतिषत तक था। (**भोजपुर, गोपालगंज, लक्खीसराय, पूर्णीया, सारण एवं वैशाली**)
- @ Rs. 5250 प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रति वर्ष जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 40 प्रतिषत से कम था। (**अररिया, कैमुर, मुंगेर, पटना एवं सीवान**).

जिला स्वास्थ्य समिति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जिले अन्तर्गत जिस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा वर्ष 2012–13 में राषि का पुर्ण उपयोग किया है उस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को व्यय के आधार पर अधिक राषि आवंटित कर सकती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के आधार पर जिले माह अक्टुबर, 2013 में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए इस मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राषि की मांग कर सकती हैं।

वित्तीय दिशा–निर्देश

उक्त राशि निम्नांकित कार्यो में खर्च किये जा सकते है:–

1. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा पर्दा लगाने में नल की मरम्मती, वल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मती ।
2. आवश्यक सामाग्री, उपकरण एवं मशीन की खरीददारी एवं रिपेयर। यथा–रोगी जाँच टेबुल, डिलीवरी टेबुल, डी.पी. उपकरण, हीमोग्लोबीन मीटर, कॉपर–टी लगाने वाले किट, उपकरण ट्रे, बच्चा ट्रे, भार स्केल मां एवं नवजात शिशु हेतु, प्लास्टिक/रबर सीट, ड्रेसिंग सीजर, स्टेथोस्कोप, बाल्टी, एटेंडेन्स स्टूल, मेकिंग टोस सीट इत्यादि।
3. सप्लाई पानी की व्यवस्था हेतु ।
4. बिजली की व्यवस्था हेत ।
5. सफाई की व्यवस्था हेतु, विशेषकर बच्चे के जन्मोपरान्त ।

13/7/13

6. आपातस्थिति में उचित रेफरल परिवहन में ।
7. महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
8. कन्जूमेबुल्स यथा– बैन्डेज की खरीद पर ।
9. ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजो की खरीद पर ।
10. जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ–सफाई करने में जिससे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके।
11. आशा के चिन्हित कार्यो के करने पर प्रोत्साहन राशि के भुगतान पर ।
12. Soak Pits के मरम्मती अथवा चालू कराने मे ।

उपर्युक्त बिन्दु मात्र संदर्भ के लिए है। इसके अतिरिक्त अस्पताल की रोगी कल्याण समिति आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का क्रय/रिपेयर पर इस राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

नोटः– अस्पताल की रोगी कल्याण समिति एवं भंडारपाल की यह जवाबदेही होगी की इस मद से क्रय/रिपेयर किये जाने वाली सामग्री को खरीदने/रिपेयर से पुर्व यह प्रमाणित करेंगें कि उक्त सामग्री का क्रय पुर्व में किसी मद/श्रोत से नहीं किया गया है अथवा उक्त उपलब्ध सामग्री तत्काल में उपयोग लायक नहीं है। इससे सामग्रियों के व्यर्थ की क्रय/रिपेयर में राशि की उपयोगिता से बचा जा सकता है।
इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 4657 A, Dated 07.112007 (ख) 22378 Dated 27.12.10

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025

FMR Code - B 2.5

13/7/13